क्षेत्रीय कार्यालय, डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स,
विकास विहार, मोहनपुरी, मेरठ।

पत्रांकः 1–38750–एम/मेरठ/ दिनांकः 2019

जनरल सैक्रेट्री,
सिनियर सिटीजन होम्स कॉम्पलैक्स वैलफेयर एसोसियेशन,
क्लब हाउस, प्लाट नं0–2, पी–4, बिल्डर्स एरिया,
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

विषयः– सिनियर सिटीजन होम्स कॉम्पलैक्स वैलफेयर एसोसियेशन, गौतमबुद्धनगर के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक प्रश्नगत एसोसियेशन के सम्बन्ध में श्री मुकेश शर्मा व अन्य ने संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त शिकायती पत्र कार्यालय में दिनांकः 03.5.2019 को प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया है कि प्रबन्ध समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाने के साथ निर्वाचन न कराने व धन की निकासी पर रोक लगाये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। शिकायती पत्र की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर बिन्दुवार आख्या एवं साक्ष्यों/प्रमाणों सहित दिनांकः 28.5.2019 को 12 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि प्रकरण का निस्तारण होने तक कोई भी नीतिगत निर्णय न लिया जाये एवं आवश्यक खर्चो के अतिरिक्त कोई भी बड़ा खर्च न किया जाये।

संलग्नकः– यथोपरि।

डिप्टी रजिस्ट्रार

पत्रांकः 398(i) **1–तद्दिनांकः** 04/05/19

प्रतिलिपिः– श्री मुकेश शर्मा व अन्य, निवासी–एफ–57, सिनियर सिटिजन होम कॉम्पलेक्स, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित कि आप भी उक्त नियत तिथि व समय पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष साक्ष्यों/प्रमाणों सहित उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

डिप्टी रजिस्ट्रार

Scanned by CamScanner

सेवा में,

पत्रावली संख्या-38750-एम

डिप्टी रजिस्ट्रार,
फर्म्स, सोसाइटीज एंव चिट्स
विकास विहार, मोहनपुरी मेरठ।

विषय :- सिनियर सिटिजन होम कॉम्पलैक्स रेजिडेन्ट्स वेलफ़ेयर एसोसिएशन, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर की प्रबन्धसमिति का कार्यकाल समाप्त होने जाने के पश्चात भी निर्वाचन न कराये जाने के सम्बन्धं मे।

महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त समिति का पिछला चुनाव दिनांक 23.04.2017 को हुआ था। जिसका कार्यकाल 02 वर्ष का था व समिति की पंजीकृत नियामानुसार के नियमानुसार चुनाव 23.04.2019 से पूर्व अन्यथा किसी भी स्थिति में 30.04.2019 तक हो जाना चाहिये था। किंतु सोसाइटी की निर्वतमान प्रबन्धकमैटी द्वारा सोसाइटी के नियमों-उपनियमो की अवहेलना करते हुये न तो वार्षिक आम सभा की बैठक का आयोजन किया न ही निर्वाचन हेतु कोई कार्यवाही/ निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया। वर्तमान में निर्वमान प्रबन्धसमिति कालातित होने के कारण अवैध हो गयी है।

आपके संज्ञान में यह भी लाना है कि समिति की कालातीत प्रबन्धसमिति को संस्था के सम्बन्धं में कोई भी फैसला लेने का अधिकार नही है, किंतु फिर भी निंवतमान कमैटी अभी भी निरंतर संस्था की धनराशि का लगातार दुरूपयोग कर रही है तथा अवैधानिक रूप से फैसले ले रही है। ऐसी स्थिति में तत्काल प्रभाव से संस्था के फण्ड की धनराशि के दुरूपयोग पर रोक लगाये जाने व जब तक नयी प्रबन्धसमिति का निर्वाचन नही हो जाता है, तब तक बैंक खाता 1- आई.सी. आई.सी.आई. बैंक-शाखा- सेक्टर-ओमेगा, ग्रेटर नोएडा, जनपद-गौतमबुद्धनगर खाता संख्या-218301000060 एंव ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स, शाखा-जगत फार्म, ग्रेटर नोएडा, जनपद-गौतमबुद्धनगर खाता संख्या-08982151007287 को आवश्यक खर्चे जैसे बिजली, पानी, सिक्यौरिटी एंव स्टॉफ सैलरी के अतिरिक्त अन्य धन की निकासी पर रोक लगाये जाने हेतु सम्बन्धित शाखा-बैक प्रबन्धंको को आदेश जारी किया जाना आवश्यक है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त सोसाइटी के आगमी निर्वाचन नियमपूर्ण, विधिपूर्ण, निष्पक्ष व स्वंतत्र चुनाव सम्पन्न कराने जाने तक सोसाइटी का प्रबन्धंन/निर्वाचन स्वंय या अपने निर्देशानुसार एंव नियमानुसार सरकारी प्राधिकारी को सोपे जाने की कृपा करे व आवश्यक खर्चे के अतिरिक्त धन की निकासी पर रोक लगाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करे।

आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक 03.05.2019

प्रार्थी/सदस्यगण सिनियर
सिटिजन होम कॉम्पलैक्स रेजिडेन्ट्स
वेलफ़ेयर एसोसिएशन, ग्रेटर नोएडा

मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा
एसोसिएट्स सदस्य
निवासी- एफ-57, सिनियर सिटिजन होम
कॉम्पलैक्स ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर- 210301,
मो0- 09873555905

मंजू देवी
एफ-45